<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062024-254497 CG-DL-E-01062024-254497

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 384] No. 384] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 30, 2024/ज्येष्ठ 9, 1946 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 30, 2024/JYAISHTHA 9, 1946

भारतीय मानक ब्यूरो (उपभोक्ता मामले विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2024

संदर्भ: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (896).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनूसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं| अनुसूची

क्रम	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या	संशोधनों की	तिथि जब तक मानक
सं.		एवं तिथि	प्रतिस्थापन तिथि	तीसरे स्तंभ में इंगित
				संशोधन के बिना भी
				लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस/आई एस ओ 11137-1 : 2006	संशोधन संख्या 2	21 मई 2024	20 जून 2024
	स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों का विसंक्रमण — विकिरण	मई 2024		
	भाग 1 चिकित्सा उपकरणों के लिए एक विसंक्रमण प्रक्रिया के			
	विकास, सत्यापन और दिनचर्या पर नियंत्रण के लिए			
	आवश्यकताएँ			

पी. राजेश, वैज्ञानिक जी एवं उप महानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी एवं टी एन एम)

[विज्ञापन-III/4/असा./153/2024-25]

3299 GI/2024 (1)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs) NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2024

Ref: HQ-PUB015/1/2020-PUB-BIS (896).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

Sl. No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS/ISO 11137-1: 2006 Sterilization of Health Care Products — Radiation Part 1 Requirements for Development, Validation and Routine Control of a Sterilization Process for Medical Devices	Amendment No. 2 May 2024	21 May 2024	20 June 2024

P. RAJESH, Scientist G & DDG (ITS, PRT & TNM) [ADVT.-III/4/Exty./153/2024-25]